

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक -SM-EXA-2026-03733

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश मेट्रोपोलिस", प्रमोटर-अविनाश डेव्हलपर्स प्रा.लि.,
द्वारा-श्री आनंद सिंघानिया, पता-अविनाश हाऊस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई.
रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अविनाश मेट्रोपोलिस" पता-कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/08/2026	- प्रकरण प्रस्तुत। - रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "अविनाश मेट्रोपोलिस" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA290819001030 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 29.08.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.09.2026 को समाप्त हो जायेगी। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 05.08.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। - प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनांक 30.09.2026 को समाप्त हो जायेगी। जबकि अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये दिनांक 30.06.2026 को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रथम विस्तारण प्रदान किये जाने पर भी नियत समयावधि में अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य एवं सुविधाओं को वचन के अनुरूप नहीं किया जा सका है एवं पुनः विस्तारण हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में चूँकि विकास कार्य 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। अतः प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :- 1. रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को आदेशित किया जाता है। अनावेदक प्रमोटर द्वारा निर्धारित दस्तावेज मय आवेदन एवं निर्धारित विस्तारण एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त होने के उपरांत प्रोजेक्ट पंजीयन वैधता समाप्ति दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 30.09.2027 तक पंजीयन विस्तार देते हुए विस्तारण प्रमाण पत्र जारी करे।	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक -SM-EXA-2026-03733

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश मेट्रोपोलिस", प्रमोटर-अविनाश डेव्हलपर्स प्रा.लि.,
द्वारा-श्री आनंद सिंघानिया, पता-अविनाश हाऊस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई.
रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अविनाश मेट्रोपोलिस" पता-कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	2. उपरोक्त प्रोजेक्ट का पंजीयन विस्तार किसी भी दशा में प्रमोटर एवं आबंटिती के मध्य किये गये अनुबंध में उल्लेखित अधिपत्य तिथि को प्रभावित नहीं करेगा। — आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। — प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	